

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या-67/2021

कुमारी मनिका बनाम् राज्य एवं मनोज उपाध्याय वगै०

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गी
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

18/02/2022

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका कुमारी मनिका, पति-राजेश कुमार अग्रवाल, निवास ग्राम-सेन्द्रल हॉस्पिटल कॉलोनी, नईसराय, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा U/s-133 of Cr.P.C. के तहत आवेदन दायर किया गया है।

आवेदिका की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना। विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का कहना है कि U/s-133 of Cr.P.C. के तहत विधिवत् आवेदिका को अनुमण्डल पदाधिकारी-सह-अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ में आवेदन दायर करना चाहिए, आवेदन पोषणीय नहीं है।

अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से सहमत होते हुए U/s-133 of Cr.P.C. के तहत आवेदिका द्वारा दायर आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी मन्तव्य एवं आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शाधवीशिक्षा
18-02-2022
उपायुक्त,
रामगढ़।

शाधवीशिक्षा
18-02-2022
उपायुक्त,
रामगढ़।